न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुन्डू (रांची)

वाद संख्या– M–21/2017, धारा–107 द०प्र०सं०

आशाराम महतो.....प्रथम पक्ष।

बनाम

झरिया महतो.....द्वितीय पक्ष।

तिथि	आदेश	
06/11/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहातु के अप्राथमिकी संख्या–60/17 दिनांक–16/02/17 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है, दोनों पक्षों अपने उपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक–दूसरे पर शांतिभंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद जमीन में नींव खोदने को लेकर एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाहीः– गवाह संख्या–01 शैलेश महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि नींव गड्ढा खोदने को लेकर उभय पक्ष में झगड़ा हुआ था, नींव खोदने वाला जमीन में दोनों पक्ष दावा करते है। अभी वर्त्तमान में उभय पक्ष में झगड़ा नहीं हुआ है। उभय पक्ष मुँह में बाताबाती हो रहे थे, मारपीट नहीं हुआ है। दोनों पक्ष जमीन में दावा कर रहे है, जिस कारण से झगड़ा है और नहीं तो उभय पक्ष में कुछ नहीं है। गवाह संख्या–02 आशाराम महतो (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जगह जमीन को लेकर मैं झरिया महतो(द्वितीय पक्ष) को केस किया हूँ। दिनांक–30/01/17 को केस किया हूँ। दिनांक–30/01/17 को द्वितीय पक्ष गाली–गलौज किया था, मारपीट नहीं किया था। विवादित जमीन का खाता संख्या–39, प्लॉट संख्या–477, रकबा–18 डी0 है। यह जमीन हमलोगों में बँटवारा हो गया है। मेरा हिस्सा जमीन में द्वितीय पक्ष नींव खोद रहा था। केस होने के बाद उभय पक्ष में लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। केस के बाद द्वितिय पक्ष झगड़ा नहीं किया है। द्वितीय पक्ष गवाहीः– गवाह संख्या–01 जगमोहन पातर मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्षों को जानता हूँ। उभय पक्ष के बीच झगड़ा–झंझट, मारपीट कभी नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के उपर झूठा केस किया है। आज से 03 महीना पहले उभय पक्ष के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। उभय पक्ष के बीच में हमेशा लड़ाई–झगड़ा होते रहता है। कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा। अभी प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से जान का भय नहीं है। दोनों पक्षों के कारण पृच्छा के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ताओं के बहस व गवाहों की गवाही से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में जमीन के बँटवारा को लेकर विवाद है एवं विवादित भूमि पर दोनों पक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर रहे है। कृ०पृ०उ०	

चुँकि उभय पक्ष में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है और न ही वाद की कार्रवाई के दौरान शांति भंग होने के संभावना की पुष्टि हो पाई है।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आहत पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापति एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

06/11/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।